PRIVATE SECTOR INVESTMENT IN POWER GENERATION

*277. SHRI SANGH PRIYA GAUTAM :

DR. NAUNIHAL SINGH : Will the Minister of POWER be pleased to state :

(a) what are the details of the standard rules of investment by private sector for power generation;

(b) whether it is a fact that the criteria for selecting the investor has been distorted to favour the Ambanis, if not, the justification adopted by Government in this case may be given; and

(c) whether it is also a fact that though Ambanis have no experience in this field, yet they have been preferred at the expense of National Thermal Power corporation; if so, what are the reasons therefor ?

THE MINISTER OF POWER (SHRI N.K.P. SALVE) : (a) Government of India has introduced a policy to encourage greater private sector participation in the electricity generation, supply and distribution. The policy framework in this regard broadly envisages :—

(i) The Private Companies entering the electricity sector will be allowed a debt to equity ratio of 4:1.

(ii) The promoter's contribution should be at least 11 per cent of the total outlay.

(iii) Not more than 40 per cent of the total outlay can come from Indian Public Institutions.

(iv) Foreign equity may go upto 100 per cent.

(v) Tax holiday for all power units commissioning before 1-4-1998 for 1st five years of operation on 100 per cent profits and for the next five years on 30 per cent profits.

Detailed normative parameters have also been notified.

(b) and (c) No, Sir.

विशिष्ट एवं आधुनिक संचार सेवाएं

*278. **मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशिष्ट एवं आधुनिक संचार सेवाओं की उपलब्धता का ब्यौरा क्या है, और

(ख) इस संबंध में सरकार की भविष्य और निकट भविष्य के लिए कौन-कौन सी योजनाएं हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम)

(क) संचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट और आधुनिक सेवाएं :

संचार के क्षेत्र में निम्नलिखित विशेषीकृत और आधुनिक सेवाएं हैं :--

(i) इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज से डाइनैमिक एस. टी. डी., आटोमैटिक वैक-अप, काल वेटिंग, काल फारवर्डिंग और हाट लाइन सुविधा जैसी "फोन-प्लस" सेवाएं ।

(ii) 8 एम बी पी एस तक वायस और डाटा संचार के लिए लीज्ड लाइन सेवाएं ।

(iii) लम्बी दूरी उपग्रह टेलीफोन सेवा ।

(iv) 'इनमरसेट" उपग्रह का प्रयोग करते हुए भूमि सचल उपग्रह सेवाएं ।

(v) बाहर के कुछ देशों को स्वदेश सीधी सेवा ।

(vi) अन्तर्राष्ट्रीय इलैक्ट्रानिक मेल और पैकेट स्विचन सेवा ।

(vii) भारत में सार्वजनिक डाटा नेटवर्क इनेट का प्रयोग करते हुए डाटा संचार सेवाएं ।

(viii) कार सचल टेलीफोन सेवा ।

(ix) रेडियो पेजिंग सेवा ।

(x) वायस मेल सेवा ।